

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थ नगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 10 सितम्बर, 2012

विषय : मोटर बोटों की मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-112/राहत लिपिक/2012-13, दिनांक 27 जुलाई, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ एवं दैवी आपदा में राहत कार्यों की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गयी दो मोटर बोटों की मरम्मत हेतु रू0 75,000/- (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में क्रय की गयी मोटर बोटों की मरम्मत पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त मोटर बोटों की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यांत्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

5. आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिलास्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या 1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाये।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2050/1-10-2012-14(23)/04 टी०सी०-1 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार -प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० सचिवालय।

2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट

<http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०

6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थ नगर।

7-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।

8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत की वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ०प्र० शासन।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।